A2/2

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री मनोज कुमार मीना , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 039 / 2022
अन्तर्गत धारा 53,88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. हरीश कुमार पुत्र श्री शिवला राम जाति अरोड़ा निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. सुरेश कुमार पुत्र श्री शिवला राम जाति अरोड़ा निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री शिवला राम जाति अरोड़ा निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)। .... वादीगण

ब ना म

1. शिवला राम पुत्र श्री शीतल दास जाति अरोड़ा निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)।
2. श्रीमती राजरानी पत्नी श्री शिवला राम जाति अरोड़ा निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. शकुन्तला पुत्री श्री शिवला राम जाति अरोड़ा निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। .... प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री संजय जनवेजा	(वादीगण)
	श्री नरेश कुमार गाबा	(प्रतिवादी 1 ता 3)
	राज पैरोकार	(प्रतिवादी 4)

दिनांक 18.05.2022

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादीगण के पिता, प्रतिवादी सं. 1 शिवला राम के नाम से वाके चक 4 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 152 / 92 का मुरब्बा नम्बर 63, 64 व 67की कुल 4.864 है0 नहरी मय बारानी कृषि भूमिदर्ज कागजात माल है। सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्तशुदा है तथा विरासतन प्राप्त सम्पत्ति की आय से अर्जित की हुई भूमि है। जो कि जद्दी जायदाद की परिभाषा में आती है। वादीगण की माता, प्रतिवादीया संख्या 2 श्रीमती राजरानी के नाम से वाके चक 2 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 16 / 22 के मुरब्बा नम्बर 14 की 0.252 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। उक्त भूमि वादीगण के पिता श्री शिवला राम ने विरासतन प्राप्त कृषि भूमि की आय से अर्जित करके अपनी धर्मपत्नी यानि प्रतिवादिया संख्या 2 के नाम से करवाई है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक सम्पत्ति है तथा उक्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीया संख्या 3का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादिया संख्या 3 शादीशुदा है तथा अपने घर में हंसी खुशी आबाद है तथा वह वादीगण से अत्याधिक स्नेह व लगाव रखती है इसलिए उसने अपने हक वा हिस्सा का परित्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है। प्रतिवादीगण ने अपनी स्वेच्छा वा सहमति से उक्त भूमि का वादीगण के साथ घरू मौखिक बंटवारा

18/05/22
सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

किया हुआ है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्न लिखित भूमि हिस्सा में प्राप्त हुई है:–

(1) वादी संख्या 1 हरीश कुमार को चक 4 वाई तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 152/92 का मुरब्बा नम्बर 63 का किला नम्बर 13, 14, 17 व 18/1 कुल 0.980 हैक्टेयर नहरी बारानी कृषि भूमि।

(2) वादी संख्या 2 सुरेश कुमार को चक 4 वाई तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 152/92 का मुरब्बा नम्बर 64 का किला नम्बर 20(0.126 है0 किला नम्बर 21 के साथ चिपता हुआ भाग), 21(0.215), 22 से 25 (प्रत्येक 0.253 है0) =1.353 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि तथा मु0 नं0 67 की 0.127 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 1.480 हैक्टेयर भूमि।

(3) वादी संख्या 3 नरेन्द्र कुमार को चक 4 वाई तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 152/92 का मुरब्बा नम्बर 64 का किला नम्बर 14(0.127), 15(0.126), 16 से 19 (प्रत्येक 0.253 है0), 20(0.127 है0 किला नम्बर 11 के साथ चिपता हुआ भाग) = 1.392 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, चक 2 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 16/22 के मुरब्बा नम्बर 14 की 0.252 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 1.644 है0 नहरी बारानी कृषि भूमि।

(4) प्रतिवादी संख्या 1 शिवला राम व प्रतिवादिया संख्या 2 श्रीमती राजरानी को चक 4 वाई तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 152/92 का मुरब्बा नम्बर 63 का किला नम्बर 5, 6, 15, 16 (प्रत्येक 0.253 है0), कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि।

उक्त घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा में आई हुई भूमि पर काबिज चले आ रहे है तथा मौका पर काश्त कर रहें हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण से कहा हुआ है कि जब भी तुम लोग चाहोगें, तुम्हारे हिस्सा की भूमि तुम्हारे नाम करवा देगें। इसी विश्वास पर वादीगण ने भारी मेहनत करके व काफी धन आदि खर्च करके अपने अपने हिस्सा के रकबा में सुधार कार्य करवाए हैं। वादीगण पढे लिखे व अग्रणी काश्तकार है तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहते हैं, मगर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज ना होने के कारण वादीगण सभी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 01.05.2022 को उन्होने सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है। इसलिए वादीगण के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही वाद कारण है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि वाद पत्र बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे:–

(1) पैतृक भूमि, जो वाद पत्र में वर्णित है तथा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है, में से वादीगण को घरू बंटवारानामा अनुसार उनके हिस्सा में आई भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

(2) डिक्री खाता विभाजन की जारी की जाकर भूमि वादीगण के नाम से किलावाईज दर्ज करवाई जावे तथा अलग खाता कायम किया जावे।

18/05/22

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2/5

दिनाक 13.05.2022 को पक्षकारान द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा एवं अपने अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई वादीगण की शिनाख्त वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की शिनाख्त प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री नरेश कुमार गाबा द्वारा की गई। यह कि इस प्रकरण में गांव के मौजूज व्यक्तियों ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई मनमुटाव नहीं रहा है तथा पंचायत द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से भूमि का वंटवारा करवा दिया है तथा बंटवारा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से घरू वंटवारा अनुसार भूमि प्राप्त हई है:–

वादी संख्या 1 हरीश कुमार को चक 4 वाई तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 152/92 का मुरब्बा नम्बर 63 का किला नम्बर 13, 14, 17 व 18/1 कुल 0.980 हैक्टेयर नहरी बारानी कृषि भूमि, वादी संख्या 2 सुरेश कुमार को चक 4 वाई तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 152/92 का मुरब्बा नम्बर 64 का किला नम्बर 20(0.126 है0 पश्चिमी हिस्सा), 21(0.215), 22 से 25 (प्रत्येक 0.253 है0) = 1.353 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि तथा मु0 नं0 67 की 0.127 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 1.480 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 3 नरेन्द्र कुमार को चक 4 वाई तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 152/92 का मुरब्बा नम्बर 64 का किला नम्बर 14(0.127), 15(0.126), 16 से 19 (प्रत्येक 0.253 है0), 20(0.127 है0 पूर्वी हिस्सा) = 1.392 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, चक 2 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 16/22 के मुरब्बा नम्बर 14 की 0.252 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 1.644 है0 नहरी बारानी कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 शिवला राम का हिस्सा 0.759 हैक्टेयर व प्रतिवादिया संख्या 2 श्रीमती राजरानी का हिस्सा 0.253 हैक्टेयर, दोनों को चक 4 वाई तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 152/92 का मुरब्बा नम्बर 63 का किला नम्बर 5, 6, 15, 16 (प्रत्येक 0.253 है0), कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि।

दिनांक 13.05.2022 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 13.05.2022 एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक 4 वाई पटवार हल्का कालियां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 152/92 एवं चक 2 वाई पटवार हल्का 3 वाई भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 16/22 तथा नामान्तरण संख्या 140, दनांक 18.03.1985 की प्रतियां प्रस्तुत की गई। उक्त दस्तावेजात एवं जमाबन्दी के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि का पैतृक होना सिद्ध होता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति/राजीनामा के आधार पर वादीगण संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 में वादग्रस्त कृषि भूमि का निम्न प्रकार से विभाजन किया जाकर खातेदार घोषित किया जाता है–

18/05
सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री मनोज कुमार मीना , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 039 / 2022
अन्तर्गत धारा 53,88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. हरीश कुमार पुत्र श्री शिवला राम जाति अरोड़ा निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. सुरेश कुमार पुत्र श्री शिवला राम जाति अरोड़ा निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री शिवला राम जाति अरोड़ा निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)। .... वादीगण

ब ना म

1. शिवला राम पुत्र श्री शीतल दास जाति अरोड़ा निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राजस्थान)।
2. श्रीमती राजरानी पत्नी श्री शिवला राम जाति अरोड़ा निवासी कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. शकुन्तला पुत्री श्री शिवला राम जाति अरोड़ा निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। .... प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (वादीगण)
श्री नरेश कुमार गाबा (प्रतिवादी 1 ता 3)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 4)

दिनांक 19.05.2022

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 अधिवक्ता श्री नरेश कुमार गाबा एवं पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 4 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी संख्या 1 हरीश कुमार को चक 4 वाई तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 152 / 92 का मुरब्बा नम्बर 63 का किला नम्बर 13, 14, 17 व 18 / 1 कुल 0.980 हैक्टेयर नहरी बारानी कृषि भूमि, वादी संख्या 2 सुरेश कुमार को चक 4 वाई तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 152 / 92 का मुरब्बा नम्बर 64 का किला नम्बर 20(0.126 है0 पश्चिमी हिस्सा), 21(0.215), 22 से 25 (प्रत्येक 0.253 है0) = 1.353 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि तथा मु0 नं0 67 की 0.127 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 1.480 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 3 नरेन्द्र कुमार को चक 4 वाई तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 152 / 92 का मुरब्बा नम्बर 64 का किला नम्बर 14(0.127), 15(0.126), 16 से 19 (प्रत्येक 0.253 है0), 20(0.127 है0 पूर्वी हिस्सा) = 1.392 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, चक 2 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 16 / 22 के मुरब्बा नम्बर 14 की 0.252 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 1.644 है0 नहरी बारानी कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 शिवला राम का हिस्सा 0.759 हैक्टेयर व प्रतिवादिया संख्या 2 श्रीमती राजरानी का हिस्सा 0.253 हैक्टेयर,

19.05 सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी संख्या 1 हरीश कुमार को चक 4 वाई तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 152/92 का मुरब्बा नम्बर 63 का किला नम्बर 13, 14, 17 व 18/1 कुल 0.980 हैक्टेयर नहरी बारानी कृषि भूमि, वादी संख्यां 2 सुरेश कुमार को चक 4 वाई तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 152/92 का मुरब्बा नम्बर 64 का किला नम्बर 20(0.126 है0 पश्चिमी हिस्सा), 21(0.215), 22 से 25 (प्रत्येक 0.253 है0) = 1.353 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि तथा मु0 नं0 67 की 0.127 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 1.480 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 3 नरेन्द्र कुमार को चक 4 वाई तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 152/92 का मुरब्बा नम्बर 64 का किला नम्बर 14(0.127), 15(0.126), 16 से 19 (प्रत्येक 0.253 है0), 20(0.127 है0 पूर्वी हिस्सा) = 1.392 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, चक 2 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 16/22 के मुरब्बा नम्बर 14 की 0.252 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 1.644 है0 नहरी बारानी कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 शिवला राम का हिस्सा 0.759 हैक्टेयर व प्रतिवादिया संख्या 2 श्रीमती राजरानी का हिस्सा 0.253 हैक्टेयर, दोनों को चक 4 वाई तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 152/92 का मुरब्बा नम्बर 63 का किला नम्बर 5, 6, 15, 16 (प्रत्येक 0.253 है0), कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 18.05.2022 को जारी किया गया।

18/05/22

मनोज कुमार मीना
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक,
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर